अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

महेन्द्र सिंह बनाम सुरजमल आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट | प्रकरण संख्या 166/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 384/340 के ख.नं. 192 की 9.9910 है0, ख.नं. 223 की 2.6300 है0 कुल तादादी 12.6210 है0 वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 21/08/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
01.08.2023	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान वकील प्रार्थी श्री महेश चन्द्र शर्मा ने की। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त पत्रावली में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो चुका है। उक्त [illegible] लिया जावे उनवान को [illegible] खारिज फरमावे। हमने प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन [illegible] । प्रार्थना प्रार्थी – पत्रावली तलबी पर विचाराधीन है । प्रार्थना हित में स्वीकार किया जाता है तथा अनुमानी प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कम्प्यूटर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	महेन्द्र सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner